UPSI180030162025

न्यायालय सिविल जज (जू०डि०), महमूदाबाद-सीतापुर।

दीवानी वाद सं०-397/2025

शौकीलाल बनाम गंगादेई।

वाद की प्रकृति	**स्थायी निषेधाज्ञा**
वाद का मूल्यांकन	**30,000/-रुपये**
अधिवक्ता का नाम	**श्री सुनील कुमार वर्मा**
वाद प्रस्तुत किये जाने की तिथि	**26.11.2025**

यह वाद-पत्र वादी द्वारा वास्ते स्थायी निषेधाज्ञा उसके विद्वान अधिवक्ता श्री सुनील कुमार वर्मा द्वारा प्रस्तुत किया गया। मुन्सरिम आख्यानुसार वाद न्यायालय के क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत है, तद्नुसार न्यायशुल्क अदा है। अतः वाद मूलवाद के रूप में दर्ज रजिस्टर हो। प्रतिवादिनी को नोटिस जारी हो। पत्रावली वास्ते निस्तारण प्रार्थना-पत्र 6ग2/दाखिल लिखित उत्तर/विरचन वादबिन्दु दिनाँक-24.12.2025 को पेश हो।

(रोहित पुरी)
सिविल जज (जू०डि०) महमूदाबाद,
सीतापुर।

निस्तारण प्रार्थना-पत्र 6ग2

वादी द्वारा प्रार्थना-पत्र 6ग2 मय शपथ-पत्र 7ग2 अन्तर्गत आदेश 39 नियम 1 सिविल प्रक्रिया संहिता प्रस्तुत कर वाद-पत्र के साथ संलग्न नक्शा-नजरी में अक्षर अ,ब,स,द, से प्रदर्शित वादीय भूमि जिसकी चौहद्दी पूरब-रास्ता 8फीट, पश्चिम-प्लॉट स्वामी दयाल, उत्तर-प्लॉट जरीना, दक्षिण-मकान खेलावन भूमि गाटा संख्या-625 रकबा 0.475हे० स्थित ग्राम जोड़ौरा, परगना बाड़ी, तहसील सिधौली, जिला सीतापुर पर कब्जा व निर्माण करने व वादी के शान्तिपूर्ण कब्जा व दखल में किसी तरह का हस्तक्षेप करने से प्रतिवादिनी को मना किये जाने की याचना की गयी है।

वादी की ओर से अपने कथनों के समर्थन में दस्तावेजी सूची सबूत कागज संख्या-9ग1 से एक किता बैनामा छायाप्रति दिनांकित-02.01.2013 ग्राम जोड़ौरा, परगना बाड़ी, तहसील सिधौली, जिला सीतापुर कागज संख्या-10ग1लगायत 10ग1/18, एक किता उद्धरण खतौनी नकल गाटा संख्या-625 कागज संख्या-11ग1, एक किता खसरा नकल गाटा संख्या-625 कागज संख्या-12ग1 एवं पृथक से एक किता वादीय आधार कार्ड की छायाप्रति कागज संख्या-13ग1 दाखिल पत्रावली की गयी है।

कार्यालय की आख्यानुसार प्रस्तुत मामले में कैबिएट दाखिल नहीं है।

अतः मामले के तथ्य एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए बिना प्रतिवादिनी को सुने प्रार्थना-पत्र 6ग2 पर कोई भी आदेश पारित किया जाना न्यायोचित नहीं होगा। प्रतिवादिनी को नोटिस दिनाँक-24.12.2025 हेतु जारी हो। वादी आवश्यक पैरवी करे। पत्रावली वास्ते निस्तारण प्रार्थना-पत्र 6ग2/लिखित उत्तर/विरचन वादबिन्दु दिनाँक-24.12.2025 को पेश हो।

दिनांकः26.11.2025

(रोहित पुरी)
सिविल जज (जू०डि०) महमूदाबाद,
सीतापुर।

........(P.T.O)

UPSI180030162025

Digitally signed by ROHIT PURI
Date: 2025.11.26 17:36:26 IST
Reason: Document Owner
Location: Civil Judge(J.D)/J.M. Mahmudabad, Sitapur.

<u>निस्तारण प्रार्थना-पत्र 8ग2</u>

वादी के विद्वान अधिवक्ता को प्रार्थना-पत्र 8ग2वास्ते कराये जाने कमीशन कार्यवाही जरिये कमिश्नर पर एकपक्षीय रूप से सुना गया। विवादित सम्पत्ति का स्थलीय निरीक्षण कराये जाने हेतु आधार पर्याप्त हैं। प्रार्थना-पत्र 8 ग2 स्वीकार किया जाता है।

वादी जरिये **अधिवक्ता कमिश्नर** विवादित सम्पत्ति का स्थलीय निरीक्षण कराये जाने हेतु पैरवी अविलम्ब करे। अधिवक्ता कमिश्नर को आदेशित किया जाता है कि वे विवादित सम्पत्ति का स्थलीय निरीक्षण कर अपनी आख्या आगामी तिथि तक न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें। कार्यालय को निर्देशित किया जाता है कि अधिवक्ता कमिश्नर की सूची से क्रमानुसार अधिवक्ता कमिश्नर पर विवादित सम्पत्ति के निरीक्षण हेतु कार्यवाही अविलम्ब करे।

दिनांकः-26.11.2025

(रोहित पुरी)
सिविल जज (जू०डि०) महमूदाबाद,
सीतापुर।
J.O.Code-UP3474

विजय मौर्य
(स्टेनो)